श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 14 अक्तूबर, 1987

सं. ओ. वि./हिसार/32-87/40955.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० हिसार टेक्सटाईल मिल्ज, हिसार, के श्रमिक ओंकार प्रसाद शर्मा तथा अन्य क्वाटर नं० ए-50, हिसार टेक्सटाईल मिल मजदूर कालोनी, हिसार तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 6 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है:—

क्या मैं० हिसार टैक्सटाईल मिल्ज, हिसार के प्रबन्धकों द्वारा संस्था को दिनांक 3 जून, 1984 से बन्द करना न्यायोचित तथा जायज है ? यदि नहीं, तो संस्था को बन्द करने से प्रभावित श्रमिकगण किस राहत के हकदार है ?

दिनांक 2 नवम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/169-85/43018.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० नार्दन इण्डिया लेदर वलाथ मन्यु० कम्पनी, प्रा० लि०, प्लाट नं० 16, सैक्टर 6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सतप्रकाश गिरी तथा अन्य 37 श्रमिक (अनुबन्ध "क") मार्फत श्री राजेन्द्र देवा सिंह राणा चतर कालोनी नियर लक्खी सरपंच गांव सीही, सैक्टर 8, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सतप्रकाश गिरी तथा अन्य 37 श्रमिकगण (अनुबन्ध "क") की सेवाओं का समापन/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

मिनाक्षी आनन्द चौधरी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

अनुबन्ध "क"

1. सर्व श्री सतप्रकाश गिरी
2. हुकम सिंह
3. बिजय
4. रमई प्रसाद
5. रामनाथ सिंह
6. अमीचन्द
7. नवल
8. मोहन सिंह
9. चन्द्र देव सिंह
10. प्यारे लाल
11. शिव लाल
12. राजेन्द्र देव सिंह
13. हरेराज सिंह
14. राम बिरक्ष
15. तेज सिंह
16. अब्दुल कलाम
17. सोदान सिंह
18. बुद्धि राम यादव
19. निबू लाल
20. प्रेम राज
21. सुरेन्द्र कुमार
22. अशोक कुमार
23. अली अहमद
24. किशन सिंह
25. उमा शंकर
26. दिन मोहम्मद
27. पुरन लाल
28. महेन्द्र सिंह
29. विजय पाल
30. विरेन्द्र ढेलर
31. इफाजूदीन
32. सुभाष
33. बाबू राम
34. राम अझोर
35. राम दरस
36. बैजनाथ
37. मोती लाल
38. सिभू लाल